विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-28/17

श्री रजनीश चौरडिया — आवेदक
मे. सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स,
ग्राम–भंवरासला,
जिला– इंदौर (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य सतर्कता अधिकारी, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 13.09.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के पत्र क्रमांक 798 दिनांक 22 जुलाई 2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 08.08.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–28/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 22.08.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री आर.एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री जी. एस. राजपूत, सहायक यंत्री (सतर्कता) इंदौर उपस्थित हुए।

04 सुनवाई के दौरान अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा आवेदक की अपील पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय चाहा गया।

05 आवेदक के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसे फोरम द्वारा पत्र दिनांक 22.7.2017 से उनकी शिकायत इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत है निकाली गई रिकवरी से संबंधित है, अतः ऐसे प्रकरण सुनने का उन्हें अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस कारण आवेदक द्वारा असंतुष्ट होकर माननीय लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

06 आवेदक के सलाहकार द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ तीन पृथक–पृथक परिसर में अलग–अलग विद्युत कनेक्शन मेसर्स अक्षय टेक्सटाईल्स, मेसर्स सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स एवं मेसर्स सुरेन्द्र एण्ड कंपनी के नाम से दिये गये थे। तीनों अलग–अलग कनेक्शनों हेतु आवेदक द्वारा

विधि सम्मत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसकी जॉच उपरांत उस समय प्रचलित नियम एवं शर्तों के तहत उन्हें कनेक्शन प्रदाय किये गये। तीनों विद्युत कनेक्शनों के मालिक अलग–अलग है । कालांतर में दिये गये कनेक्शन पर आपत्ति उठाना विधि सम्मत नहीं है एवं सतर्कता दल द्वारा प्रकरण धारा 126 के तहत बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

07 आवेदक द्वारा बताया गया कि जिला सतर्कता दल द्वारा तीनों विद्युत कनेक्शनों का संबद्ध भार का सत्यापन दिनांक 26.6.2009 को किया गया था तथा प्रत्येक कनेक्शन में भार स्वीकृत भार से कम पाया गया। निरीक्षण के समय न तो एक परिसर से दूसरे परिसर में विद्युत का विस्तार पाया गया और न ही सीधे तार से लोड जलता हुआ पाया गया और न ही मीटर से कोई छेडछाड़ पाई गई। अतः जिला सतर्कता दल द्वारा तीनों कनेक्शनों के भार को जोड़कर उच्च दर से बिलिंग कर रूपये 4,12,837/– का बिल दिनांक 30.9.2009 को जारी किया गया। परन्तु निर्धारण आदेश उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। कार्यपालन यंत्री द्वारा एक पत्र जिसमें कि जाबक क्रमांक एवं दिनांक नहीं था, आवेदक को दिनांक 20.2.2017 को मिला जिसके पश्चात उनके द्वारा सतर्कता कार्यालय से अनंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 30.9.2009 की प्रति दिनांक 20.2.2017 को प्राप्त की गई।

08 आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सतर्कता दल के निरीक्षण के उपरांत जारी अनंतिम आदेश दिनांक 30.9.2009 के अनुसार निकाली गई रिकवरी के संबंध में उन्हें ना तो कोई सूचना भेजी गई और ना ही उनके नियमित बिल कोई एरियर्स की राशि जोड़ी गई। उक्त राशि यदि सही मान भी ली जाए तब भी कालवाधित होने के कारण वसूली योग्य नहीं है। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ऐसे अन्य समान प्रकरण में निकाली गई रिकवरी की राशि के विरूद्ध की गई शिकायत में फोरम द्वारा रिकवरी को अमान्य माना गया है।

09 आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी पत्र जो कि उन्हें दिनांक 20.2.2017 को प्राप्त हुआ था के अनुसार बिल जमा न करने पर कनेक्शन विच्छेदित करने की धमकी देने के कारण उनके द्वारा एक लाख रूपये दिनांक 28.2.2017 को अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराये गये। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया निकाली गई रिकवरी की राशि रूपये 412837/– निरस्त की जाए, जो न्याय संगत तथा कालवाधित होने के कारण निरस्तीकरण करने योग्य है।

10 उपरोक्त अनुसार प्रकरण में निर्णय लेने से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के प्रावधान अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया गया–

अ आवेदक के परिसर में स्थापित तीनों कनेक्शनों की उपभोक्ता फाईल।

ब तीनों कनेक्शन कब–कब दिये गये तथा किन अधिकारियों द्वारा कनेक्शन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कर कनेक्शन जारी किये गये।

स तीनों कनेक्शनों के भार को एक करने के लिए क्या कोई नोटिस जारी किया गया, प्रतिलिपित प्रस्तुत करें।

द प्रकरण में पंचनामा बनाने के पश्चात पूरक प्रोविजन एवं अंतिम बिल कब जारी किया गया उपभोक्ता की पावती।

च विद्युत कनेक्शन देने के पूर्व दस्तावेज सत्यापन करने बावत बोर्ड/ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी प्रपत्र की प्रति।

छ एचटी कनेक्शन देने की तिथि।

ज आवेदक के अपील अभ्यावेदन पर बिन्दुबार जानकारी।

झ विजलेंस दल द्वारा निकाली गई रिकवरी की वसूली हेतु जारी नोटिस की प्रति एवं अन्य कार्यवाही विवरण।

11 दिनांक 05.09.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई, जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री आर.एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री आनंद अहिरवार, कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) एवं श्री अरविंद कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री (सतर्कता), इंदौर उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार दस्तावेज तथा आवेदक की अपील पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक के सलाहकार को प्रदाय की गई। अनावेदक द्वारा प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपभोक्ताओं की नस्ती नहीं प्रस्तुत की।

12 अनावेदक द्वारा बताया गया कि सतर्कता अधिकारी द्वारा दिनांक 26.6.2009 को ग्राम भवरासला, वितरण केन्द्र धरमपुरी स्थित 1. मेसर्स सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स 2. मेसर्स अक्षत टेक्सटाईल्स 3. मेसर्स सुरेन्द्र एण्ड कंपनी के औद्योगिक विद्युत संयोजन क्रमांक 1– 90–92–133760 (25 हा.पॉ.), 2. – 90–92–175547 (25 हा. पॉ.), 3– 90–92–133772 (25 हा.पॉ.) एवं उपरोक्त तीनों नामों से 03 नं. गैर घरेलू संयोजन इस प्रकार कुल 06 संयोजनों के निरीक्षण उपरांत मौके पर एक ही परिसर में एलटी लाईन से 100 केवी ट्रांसफार्मर से परिसर में तीन शेडो में तीन पॉवरलूम 25–25–25 हा.पॉ. के संयोजन होना पाये जाने पर पंचनामा बनाया गया। (ओई–1)

13 अनावेदक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पंचनामा अनुसार मौके पर एक ही परिसर में 25–25–25 हा.पॉ. के तीन पृथक–पृथक संयोजन होना पाये जाने पर कम टेरिफ 4.1 (ए) का अनाधिकृत लाभ लिया पाये जाने से तीनों संयोजनों को क्लब कर कुल 75 हा.पॉ. भार अनुसार उच्चदर में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत औद्योगिक संयोजनों के मीटरों द्वारा दर्ज पिछले एक वर्ष की खपत के लिए लागू टेरिफ एलबी 4.1(बी) अनुसार ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार के दर अंतर के दोगुना दर से कुल राशि 412837/– रूपये भुगतान करने हेतु निर्धारण आदेश दिनांक 30.9.2009 जारी किया गया। (ओई–2)

14 अनावेदक द्वारा बताया गया कि निर्धारण आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर क्षेत्र के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। माननीय उपभोक्ता फोरम द्वारा पत्र क्र.798 दिनांक 22.7.2017 अनुसार प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 का होकर ऊर्जा क अप्राधिकृत उपयोग का होने से प्रकरण फोरम द्वारा दर्ज नहीं किया गया एवं प्रकरण में उचित निराकरण हेतु धारा 127 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (मुख्य सतर्कता अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। (ओई–3)

15 अनावेदक द्वारा बताया गया कि मौके पर एक ही परिसर पर एक ही मालिक को 25–25–25 हा.पॉ. के पृथक–पृथक तीन संयोजन देकर कम टैरिफ का अनाधिकृत लाभ दिया पाये जाने पर उन्हें क्लब कर 75 हा.पॉ. भार के अनुसार लागू उच्च्दर टैरिफ में प रिवर्तन आवश्यक है, संबंधी निर्देश जारी निर्धारण आदेश दिनांक 30.9.2009 उभोक्ता को यूपीसी दिनांक 1.10.2009 के माध्यम से प्रेषित किया गया है। (ओई–4)

16 अनावेदक द्वारा बताया गया कि पंचनामा मय निर्धारण आदेश जो कि उपभोक्ता को प्रेषित किया गया था उपभोक्ता द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करने उपरांत कंपनी पैनल अधिवक्ता के माध्यम से वैधारित सूचना पत्र क्रमांक 5332 दिनांक 17.2.2017 इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया। (ओई–5)

17 अनावेदक द्वारा बताया गया कि कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) द्वारा बकाया राशि रूपये 412837/– के बिल भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को लिखित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था एवं 7 दिवस के भीतर उक्त राशि का भुगतान न किये जाने पर संयोजन विच्छेद किये जाने हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया है जो कि उपभोक्ता को दिनांक 20.2.2107 को प्राप्त हुआ। तदउपरांत उपभोक्ता द्वारा राशि रूपये एक लाख का भुगतान चेक क्र. 000555 दिनांक 28.2.2017 के माध्यम से किया गया। उपभोक्ता द्वारा उचित पक्ष रखने हेतु तीन माह का समय कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) इंदौर से मांगा गया था। (ओई–6)

18 अनावेदक द्वारा बताया गया कि सतर्कता जांच दिनांक 26.6.2009 के पश्चात उपभोक्ता के आवेदन पर तीनों संयोजनों का एकीकरण भार स्वीकृति संदर्भ पत्र क्रमांक CE/IR/COM/HT-13568 दिनांक 30.9.2009 के तहत एवं उच्च्दाब संयोजन क्रमांक 5966904000 उपभोक्ता को जारी किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि पॉवरलूम कार्य हेतु एक ही परिसर में एक संयोजन 4.1(बी) श्रेणी में होना चाहिये। उपभोक्ता द्वारा पृथक–पृथक तीन संयोजन प्राप्त कर कम टेरिफ का अनाधिकृत लाभ प्राप्त किया जाना पाया गया । अतः सतर्कता द्वारा पंचनामे के तहत जारी किये गये निर्धारण आदेश की राशि भुगतान योग्य है।(ओई–7)

19 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर निम्न तथ्य सम्मुख आते हैं–

अ विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर द्वारा आवेदक की शिकायत दिनांक 29.6.2017 को बिना आवेदक को सुनवाई का मौका दिये इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि चूंकि आवेदक के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया गया है अतः उन्हें इसमें सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। जबकि ऐसे प्रकरण में स्वयं फोरम द्वारा पूर्व में उनके आदेशों द्वारा वसूली निरस्त एवं अमान्य किया गया है। फोरम द्वारा प्रकरण में बिना सुनवाई एवं शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका ना देकर न्याय नहीं किया ।

ब आवेदक श्री रजनीश चौरडिया द्वारा ग्राम भंवरसला तह. सांवेर में खसरा क्रमांक 115/2/1, 113/2/3, एवं खसरा क्रमांक 115/3/2 में उनके आधिपत्य की भूमि पर टीनशेड में 25 एचपी का विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया था, जिसके तहत उनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। श्री रजनीश चौरडिया द्वारा उक्त भूमि श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि किशनदास से क्रय की गई थी।(ओई–8, ओई–9)

स आवेदक को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात मेसर्स सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स प्रो. रजनीश चौरडिया के नाम से विद्युत कनेक्शन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया गया।

द श्रीमती शोभा चौरडिया पत्नि श्री रजनीश चौरडिया प्रो. अक्षत टेक्सटाईल्स द्वारा एक आवेदन 25 एच पावरलूम हेतु संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा भूमि खसरा नं.115/2/1, 113/2/3, एवं 115/3/2 में से 50 वाई 75 फीट की भूमि में स्थित टीनशेड को किराये पर लिये जाने एवं श्री रजनीश चौरडिया द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। (ओई–10, ओई–11)

च अनावेदक द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात विद्युत कनेक्शन जारी किया गया।

छ श्रीमती मीना चौरडिया पत्नि श्री राजेश चौरडिया प्रो. सुरेन्द्र टेक्सटाईल्स एण्ड कंपनी द्वारा पुनः 25 एचपी पॉवरलूम हेतु विद्युत कनेक्शन देने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उनके द्वारा भूमि खसर नं. 115/2/1, 113/2/3, एवं खसरा क्रमांक 115/3/2 जो श्री रजनीश चौरडिया के आधिपत्य में है, में से 135 वाई 40 फीट किराये से लिये जाने एवं श्री रजनीश चौरडिया द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात उन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया।(ओई–12, ओई–13)

20 उपरोक्त तीनों कनेक्शनों के मालिकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि तीनों उद्योग एक ही भूमि में जिसका खसर नं. 115/2/1, 113/2/3, एवं खसरा क्रमांक 115/3/2 है, में स्थित विभिन्न–विभिन्न तीन शेडों में विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा तीनों उद्योगों के मालिक अलग–अलग हैं तथा औद्योगिक विभाग में तीनों के रजिस्ट्रेशन भी अलग–अलग हैं।

21 जिला सतर्कता दल द्वारा दिनांक 26.6.2009 को उपरोक्त परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें कि तीनों विभिन्न नामों से विद्युत कनेक्शन पाये गये। तीनों परिसर का स्वीकृत भार की तुलना करने पर तीनों परिसर में स्वीकृत भार से कम भार संयोजित पाया गया तथा तीनों परिसर में लाईट एवं बाइंडिंग मशीन हेतु तीन पृथक–पृथक कनेक्शन 10–10 किलोवाट के पाये गये। (ओई–1)

22 सतर्कता दल द्वारा तीनों विद्युत कनेक्शन एक ही भूमि में पाये जाने पर तीनों कनेक्शनों का लोड जोड़कर 75 एचपी मानते हुए प्रचलित एलटी टैरिफ में लागू दर से पिछले एक वर्ष में तीनों कनेक्शन द्वारा संयुक्त रूप से की गई खपत का बिल उच्च दर टैरिफ से दोगुना दर से बिल करते हुए पूर्व में जमा की गई राशि को समायोजित करते हुए बिल दिया गया।(ओई–2)

23 इस संबंध में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा जारी परिपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार विद्युत कनेक्शन देते समय अनावेदक द्वारा यह यह सूचित किया जाएगा कि जिस परिसर में उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है उस पर उनका वैधानिक मालिकाना हक और आधिपत्य है। यदि भविष्य में एक ही परिसर में एक ही

मालिक के विभिन्न कनेक्शन पाये जाते हैं तो मालिक होने की वैधानिक स्थिति एवं परिसर की वैधानिक स्थिति सत्यापित करने के पश्चात उन्हें सभी कनेक्शन के भार जोड़ कर संयुक्त भार हेतु विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नोटिस दिया जाए एवं प्रारंभिक अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात नया अनुबंध संयोजित भार का सम्पादित कर नया कनेक्शन दिया जाए।

24 उपरोक्त तर्कों के आधार पर दो मुद्दों पर निराकरण किया जाना दृष्टिगत होता है –

अ क्या सतर्कता दल द्वारा बनाया गया प्रकरण वास्तव में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत उचित है तथा निकाली गई रिकवरी विधि सम्मत एवं वसूली योग्य है अथवा नहीं।

ब क्या प्रकरण में सतर्कता दल द्वारा निकाली गई रिकवरी की राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालवाधित है।

25 प्रकरण में निर्णय लेने से पूर्व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार धारा 126(1) निम्नानुसार है–

126(1) यदि किसी स्थान के या प रिसरों के निरीक्षण करने पर या साज–सामान/उपकरण (Equipments), जुगत (gadgets), मशीनों, यंत्र/आविष्कार (devices),के निरीक्षण करने के पश्चात, जुड़े हुए या उपयोग किये गये पाये जाते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा संधारित/बनाये रखे गये रिकार्डस् (अभिलेखों) के निरीक्षण के पश्चात् निर्धारण करने वाला अधिकारी इस निष्कर्ष पर आता है कि ऐसा व्यक्ति अप्राधिकृत/अनाधिकार पूर्वक विद्युत का उपयोग करने का मजा लूट रहा है तो ।वह वर्सोत्तम राय/विचार में ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे उपयोग का लाभ लेने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य विद्युत के चार्जेज का अंतर्कालीन निर्धारण करेगा।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126(1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण के बिन्दु (बी) में विद्युत के अप्राधिकरण उपयोग के तरीकों को इंगित किया गया है जो निम्नानुार हैं –

(बी) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग से तात्पर्य है– विद्युत का व्यवहार–

(i) *किन्हीं कृत्रिम साधनों द्वारा, या*

(ii) *ऐसे साधनों द्वारा जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या लायसेन्सी द्वारा प्राधिकृत नहीं किये गये, या*

(iii) *मीटर में की गई छेड़छाड़/बिगाड़े गये/या अन्तर्क्षेप द्वारा, या*

(iv) *प्रयोजन जिसके लिये विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत था से अतिरिक्त प्रयोजन के लिए, या*

(v) *परिसर या क्षेत्र जिसके लिए विद्युत का प्रदाय प्राधिकृत था से अतिरिक्त परिसर या क्षेत्रों के लिए।*

26 उपरोक्त के तात्पर्य जो कि ऊपर वर्णित है, से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में सतर्कता दल द्वारा तीनों विद्युत कनेक्शनों जो कि एक ही भूमि के खसरा नं. में स्थित हैं, के स्वीकृत भार को जोड़कर प्रचलित टैरिफ में संयोजित भार के अनुसार प्रचलित दर को दोगुना कर बिल

दिया गया, जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में अप्राधिकृत उपयोग के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यदि उपभोक्ता को निर्धारित टैरिफ से बिल नहीं किया जाना पाया जाता है तो उन्हें निर्धारित टैरिफ के दोगुना के अनुरूप पूरक बिल दिया जाएगा। अतः उक्त प्रकरण धारा 126 के अंतर्गत नहीं आता है फिर भी सतर्कता दल द्वारा अनावश्यक रूप से तीनों उपभोक्ताओं के पिछले एक वर्ष की खपत को जोड़कर संयुक्त भार के अनुसार प्रचलित उच्चदर का दोगुना कर पूरक बिल दिया गया जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में तीनों उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने से पूर्व सभी विधि सम्मत दस्तावेज अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा जिसके अवलोकन उनके द्वारा पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के परिपत्र (ओई–14) के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन दिये गये एवं संयोजित भार के अनुसार प्रचलित टैरिफ के प्रावधानों के तहत निर्धारित दर से बिलिंग की जाती रही । आवेदक धारा 126 के अंतर्गत दर्शाए गये विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की श्रेणी के अनुसार किसी भी श्रेणी में विद्युत का दुरूपयोग करते नहीं पाया गया।

27 सतर्कता दल द्वारा विद्युत मण्डल के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार निर्धारण बिल देने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन संबंधित कार्यालय से कर अनंतिम निर्धारण आदेश जारी करना था। अगर उनके द्वारा ऐसा किया जाता तो उनके संज्ञान में तीनों कनेक्शनों जो कि अलग–अलग मालिकों एवं अलग–अलग शेडों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही दिये गये कनेक्शन के विरूद्ध वसूली नहीं निकाली जाती।

28 आवेदक द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन जो कि मेसर्स सुरेन्द्र टैक्सटाईल्स के नाम से है का लोड बढ़ाने हेतु उच्चदाब कनेक्शन लेने हेतु दिनांक 21.4.2009 को आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। (ओई–15) जिसकी स्वीकृति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 30.9.2009 को प्रदाय की गई। (ओई–16) उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार के विरूद्ध आवश्यक राशि भी दिनांक 20.10.2009 को जमा करा दी गई। (ओई–17) तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें दिनांक 7.1.2019 को एचटी कनेक्शन दे दिया गया। (ओई–18)

29 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपने परिसर का लोड बढ़ाने हेतु सतर्कता दल के निरीक्षण से पूर्व ही उच्च्दाब कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र दे दिया था। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को आवेदन करने के दो माह पश्चात उच्चदाब कनेक्शन दिया गया।

30 सतर्कता दल द्वारा दिनांक 26.6.2009 को निरीक्षण के समय सिर्फ इस आधार पर कि एक ही भूमि में तीन विद्युत कनेक्शन पाये गये इसलिए तीनों का लोड जोड़कर उच्च दर से विद्युत देयक को संशोधित किया गया। जबकि उन्हें परिसर के वैधानिक मालिक एवं अधिपत्य का सत्यापन संबंधित कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाना चाहिए था एवं उसके उपरांत यदि यह पाया जाता कि तीनों कनेक्शन एक ही मालिक के हैं तो ऐसी दशा में उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था एवं प्रारंभिक अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर तीनों कनेक्शनों की जगह एक कनेक्शन दिये जाने हेतु नया अनुबंध किया जाना चाहिए था। नोटिस अवधि की समाप्ति के पश्चात यदि आवेदक द्वारा एक विद्युत कनेक्शन नहीं लिया जाता तब ऐसी स्थिति में प्रचलित टैरिफ में दर्शित उच्च टैरिफ दर के अनुसार बिलिंग प्रारंभ की जानी चाहिए थी ।

31 **उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि–**

अ उक्त प्रकरण म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा जारी परिपत्र (ओई–14) के प्रावधान के अनुसार भी सतर्कता दल द्वारा उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेते समय प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किये बिना ही रिकवरी निकाली गई है जो कि उपरोक्त परिपत्र के अंतर्गत विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यदि उनकी दृष्टि में तीनों कनेक्शन एक ही मालिक के हैं, तब इस स्थिति में परिपत्र के प्रावधान के अनुसार उन्हें नोटिस दिया जाना था तथा अनुबंध की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के पश्चात संयुक्त भार हेतु अलग से अनुबंध कराये जाने हेतु नोटिस जारी किया जाना था। परन्तु सतर्कता दल द्वारा बिना नोटिस जारी किये तीनों विद्युत कनेक्शनों के स्वीकृत भार को जोड़कर उनके द्वारा विगत एक वर्ष में की गई संयुक्त खपत को प्रचलित टैरिफ की उच्चदर के दोगुना कर अनंतिम निर्धारण किया गया जो कि विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त करने योग्य है, क्योंकि आवेदक ने विधि सम्मत दस्तावेज देकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था तथा परिसर में अन्य दो कनेक्शन भी प्रस्तुत दस्तावेज विधि सम्मत पाये जाने पर दिये गये थे।

ब सतर्कता दल द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाये गये प्रकरण में अप्राधिकृत विद्युत के प्रकार दर्शाये गये हैं जिसके अनुसार आवेदक कोई भी अप्राधिकृत विद्युत का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया। अतः आवेदक के विरूद्ध धारा 126 के विरूद्ध बनाया गया प्रकरण किसी भी दृष्टि से वैधानिक एवं न्यायसंगत नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक द्वारा निकाली गई रिकवरी रूपये 412837/– निरस्त की जाए।

ब आवेदक द्वारा उक्त रिकवरी के विरूद्ध जमा की गई राशि एक लाख रूपये का समायोजन उनके उच्चदाब कनेक्शन के विरूद्ध किया जाए।

स फोरम का आदेश अपास्त करते हुए फोरम को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पूरा–पूरा अवसर प्रदान करें तथा प्रकरण में गुणदोष के आधार पर ही निर्णय लें।

द उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

32 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल